ग्राम पंचायत, जुड्डू शिलाल, विकास खण्ड कुपवी ज़िला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एल ए डी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, जुड्डू शिलाल, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधानः-

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्री सुख राम	01.04.15 से 22.01.2016 तक
2	श्री छज्जु राम	23.01.2016 से 31.03.18 तक

सचिवः-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री दिलावर सिंह	01.04.2015 से 24.12.2016 तक
2.	श्रीमती विजयलक्ष्मी	25.12.2016 से 31.03.2017 तक
3.	श्री आशीष शर्मा	01.04.2017 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत, जुड्डू शिलाल के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹)
1	बैंक खातों का रोकड़ बही के साथ मिलान न करना	5	0.19
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6(ii)	0.34
3	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	6(iii)	0.13
4	दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	6(iv)	0.26
5	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**7**	20.23
6	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	8	7.15
7	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टि न करना	9	7.15

8	निर्माण कार्यो पर खर्च राशि के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित सूचना प्रदान न करना	10(ii)	35.47
9	मनरेगा योजना की रोकड़ बही व व्यय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	11(i)	30.86
10	बिना बिल/वाउचर के राशि का अनियमित आहरण	12	6.97
11	नियमानुसार उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय /भुगतान	13	1.25
12	पंचायत की स्वीकृति के बिना राशि का आहरण करना	**1**4	8.97
13	सरकारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर सीमेंट का क्रय करने पर अधिक भुगतान	**1**5	0.06
14	SBM योजना व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	**1**6	2.76
15	बिल की छाया प्रति पर अनियमित/संदिग्ध भुगतान	**1**7	1.35
16	स्टील की खरीद पर ढुलाई का संदिग्ध भुगतान	**1**8	0.48
17	अग्रिम राशि का सम्बन्धित बिल/वाउचर को प्राप्त किये बिना संदिग्ध समायोजन करना	19	6.34
18	प्राप्त/आहरण की गई राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	**2**0	1.90
19	रोकड़ बही व् बिल/वाउचर को प्रधान से सत्यापित व् पारित करवाए बिना लाखों रूपये की राशि का अनियमित आहरण	**2**1	------
20	रोकड़ बही में आहरित राशि से कम व्यय भुगतान का दर्ज करने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजन	**2**2	0.50

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जुड़ू शिलाल, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 07.07.2018 से 17.07.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत जुड़ू शिलाल के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं के विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	02/2016	05/2015
2016-17	09/2016	12/2016
2017-18	07/2017	04/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की

स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदाई नहीं होगा तथा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2018-19-09 दिनांक **17.07.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न {**परिशिष्ट-1**} में भी दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	21466.00	2965285.00	2986751.00	2816497.00	170254.00
2016-17	170254.00	8314824.00	8485078.00	7698589.00	786489.00
2017-18	786489.00	3556022.00	4342511.00	2319904.00	2022607.00

नोटः-1. सचिव ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल द्वारा स्वयं के स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण स्वः स्त्रोत से आय–व्यय की वित्तीय स्थिति अलग से तैयार नहीं की जा सकी।

नोटः-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/201 8 को निम्नविवरणानुसार **₹19,293** का अन्तर पाया गया, जिसका शीघ्र समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए:-

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	2022607.00	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	2003314.00	2

3.	कुल अन्तर	**19293.00**

31.03.218 को विभिन्न खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	31.03.2018 को शेष जमा (₹)
सामान्य निधि	HPSCB, Chopal	40510100039	53337.00
	HPSCB, Kupvi	46210100825	128317.00
	UCO Bank Kupvi	17280101200805	57077.00
14th FC	UCO Bank Kupvi	17280101202501	651521.00
	---do---	46210100826	1113062.00
		बचत बैंक खातों में 31.03.18 को शेष राशि	**₹2003314.00**

6 स्वयं स्त्रोत से प्राप्त आय

(i). आय की वसूली दरें/शुल्क की ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाना

सचिव ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल ने अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/2018-19-3 दिनांक 07.07.2018 के सन्दर्भ में पत्र **क्रमांक:GP/Juru Shilal/Kupvi/-2018-19-3** दिनांक 17.07.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली हेतु निम्नलिखित दरों से की गई थी:–

क्र0 सं0	आय का साधन	दरें (₹)	विवरण
1.	गृहकर	50/-	2015-16
		50/-	2016-17
		50/-	2017-18
2.	मोबाइल टावर	सरकार द्वारा अनुमोदित	2 टावर एयरटेल कम्पनी 2006
3.	दुकान किराया	**₹250** प्रतिमाह	4 दुकानें
4.	भू-राजस्व	सरकार द्वारा अनुमोदित	दो राजस्व ग्राम
5.	विवाह पञ्जीकरण शुल्क	10/-	3 अक्टूबर,2016 तक, तदुपरान्त
		200/-**{BPL 25/-}**	पञ्जीकरण 30 दिन के भीतर
		400/-**{BPL 50/-}**	पञ्जीकरण 90 दिन के भीतर
6.	प्रमाण पत्र शुल्क	10/-	---------
7.	शराब कर	सरकार द्वारा अनुमोदित	---------
8.	आय का साधन अन्य कोई साधन/देय शुल्क		---शून्य---

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दरें नियमानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं थी। इस सम्बन्ध में अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) गृहकर ₹0.34 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/2018-19-3 दिनांक 07.07.2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल के पत्र **क्रमांक:GP/Juru Shilal/Kupvi/2018-19-3** दिनांक 17/07/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर **₹33,750** वसूली योग्य शेष दर्शाई गई थी, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वित्तीय वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शेष राशि (₹)
01.04.15	31.03.15 को गृहकर की वसूली योग्य राशि				**18300/-**
2015-16	319	50/-	15950/-	34150/-	100/-
2016-17	330	50/-	16500/-	------	16600/-
2017-18	343	50/-	17150/-	------	33750/-
			गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि		**33750/-**

(iii) मोबाइल टावर शुल्क ₹0.13 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/2018-19-3 दिनांक 07.07.2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल के पत्र **क्रमांक:GP/Juru Shilal/Kupvi/2018-19-3** दिनांक 17 /07/2018 के **क्रमांक 3** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार एयरटेल कम्पनी से मोबाइल टावर शुल्क **₹13,000** वसूली योग्य शेष दर्शाई गई थी, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

2 mobile towers of Airtel Company installed in the year 2006

2015-16	5000/-	Renewal Fees due @2500/- per year
2016-17	6250/-	Renewal Fees due @3125/- per year
2017-18	6250/-	Renewal Fees due @3125/-/- per year
Less:-	4500/-	Amount received during the year 2015-16
Net:-	**13000/-**	Amount realizable as on 31.03.2018

(iv). अंकेक्षण अवधि में दुकान किराया ₹0.26 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP.(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/2018-19-3 दिनांक 07.07.2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत जुड्डू शिलाल के पत्र **क्रमांक:GP/Juru Shilal/Kupvi/2018-19-3** दिनांक 17 /07/2018 के **क्रमांक 4** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार पंचायत की दुकानों के किराये से अवधि {01.04.2015 से 31.03.2018} से **₹7,750 की** राशि वसूली हेतु शेष दर्शाई गई है, जबकि निम्नतालिकानुसार **₹25,750 {(3दुकानेंx₹250प्रतिमाहx36 महीने)-₹1250 प्राप्त राशि}** वसूली हेतु शेष बनती है, अतः इस सम्बन्ध में जाँच करके स्थिति स्पष्ट करते हुए उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 01.04.2015 से पूर्व वर्णित दुकानों के किराये की कुल देय राशि की सम्बन्धित से शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

दुकान नं0	प्रतिमाह	01.04.15 से	विवरण

	किराया दर (₹)	31.03.2018	
I	250/-	9000/-	**Record pertaining to letting out of shops, fixing of their monthly rent and amount of rent due and realized prior to 31.03.2015 is not maintained/available in the panchayat office, the matter in this regard is subjudice with Hon"ble court.**
II	250/-	9000/-	
III	250/-	9000/-	
IV	**खाली**	------	
किराये की कुल देय राशि		27000/-	
वर्ष 2015-16 में प्राप्त राशि		1250/-	
31.03.2018 को किराये की वसूली हेतु शेष राशि		**25,750/-**	

(v) मांग एवम प्राप्ति पञ्जीका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत, जुड्डू शिलाल द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण गृहकर तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय वास्तविक प्राप्ति व शेष बकाया का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका और ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण करना सुनिश्चित किया जाये ताकि पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की स्थिति का तुरन्त बोध हो सके और किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन हानि की सम्भावना को नकारा जा सके।

7 अनुदान राशि ₹20.23 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹20,22,607 (परिशिष्ट-1)** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है वहीं इस राशि के समयानुसार उपयोग करने के फलस्वरूप होने वाले लाभों से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान या सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.15 लाख की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं विहित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक तथा ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन्स (Quotations) आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित(Tenders) किया जाना अपेक्षित है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | इसी तरह नियम 67(3)(a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय समिति का

गठन किया जाना भी अपेक्षित है जिसमें प्रधान, उप प्रधान, नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया था, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

दिनांक	**बिल सं0**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रय सामग्री का विवरण**	**राशि (₹)**
सामान्य निधि-{माह-12/2016}				
07.12.16	1960	महासू ट्रेडर्स, संगडाह	सरिया 833 किलो	29988/-
---do---	1964	------do------	सरिया 986 किलो	35496/-
---do---	1988	------do------	सरिया 1027 किलो	36972/-
---do---	2045	------do------	सरिया 789 किलो	29982/-
---do---	2050	------do------	सरिया 972 किलो	35142/-
---do---	2051	------do------	सरिया 968 किलो	34858/-
---do---	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत, मात्रा/दर------	14000/-
17.10.16	GR-986	बी. टी. गुड्स केरियर	सरिया कैरिज	16000/-
22.10.16	GR-987	------do------	------do------	16000/-
29.10.16	GR-988	------do------	------do------	16000/-
------	कच्ची रसीद	रतन पंवार	बजरी 300 बैग	16725/-
------	कच्ची रसीद	बलबीर सिंह	रेत 190 बैग	14000/-
------	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत 200 बैग	15000/-
------	कच्ची रसीद	संदीप कुमार	रेत 185 बैग	14000/-
15.12.16	2082	महासू ट्रेडर्स, संगडाह	सरिया 965 किलो	34800/-
20.12.16	2104	------do------	सरिया 694 किलो	25000/-
22.12.16	2107	------do------	सरिया 527 किलो	19000/-
28.12.16	2138	------do------	सरिया 24 किलो	864/-
12/2016	------	बिल/वाउचर नहीं पाया	रेत खरीद व् ढुलान	34500/-
---do---	------	------do------	बजरी खरीद	12000/-
---do---	------	------do------	पानी ढुलान	25000/-
---do---	------	------do------	बजरी खरीद	22500/-
---do---	------	------do------	बजरी खरीद	65296/-
---do---	------	------do------	सरिया खरीद	6410/-
---do---	------	------do------	रेत खरीद	34000/-
---do---	------	------do------	शटरिंग दर/मात्रा---	51500/-
---do---	------	------do------	बजरी खरीद	9360/-
14th FC-{माह-12/2016}				

12/2016	कच्ची रसीद	खिरम सिंह	गटका दर/मात्रा/नहीं	6600/-
---do---	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत दर/मात्रा/नहीं	15000/-
---do---	कच्ची रसीद	विरेन्दर सिंह	पत्थर 8 चट्ठे	20000/-
---do---	कच्ची रसीद	सतपाल	बजरी दर/मात्रा/नहीं	9350/-
			कुल भुगतान	**715343/-**

9 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम, 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु उक्त पैरा संख्याः 8 में दिए गए विवरणानुसार क्रय विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए और भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(i) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में वर्णित प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र {कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों}, इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः उक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ii). निर्माण कार्यो खर्च ₹35.47 लाख को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदित पत्र तथा तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करना

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/ 2018-19-2 दिनांक 07/07/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत जुड़ू शिलाल के पत्र क्रमांक:GP/Juru Shilal/Kupvi/2018-19-02 दिनांक 17.07.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो पर निम्नतालिकानुसार ₹35,46,801 खर्च किये गए थे जिसका भुगतान निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही किया दर्शाया गया है, जबकि मनरेगा योजना के अन्तर्गत निष्पादित किये गए कार्यों से सम्बन्धित विकास कार्य सूची अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई|

इसके अतिरिक्त उक्त कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई राशि के अनुमोदन/स्वीकृति पत्र भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे उक्त व्यय/भुगतान बिना स्वीकृति के ही किया गया प्रतीत होता है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है| अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यदि कार्यों पर किया गया व्यय तकनीकी मूल्यांकन से अधिक पाया जाता है तो उस की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अनुदान	**अमूल्यांकित भुगतान (₹)**	**विकास कार्य का नाम**
सामान्य निधि	17,45,560/-	निर्माण सामुदायिक भवन कुपवी, फेज-I और II
	3,81,292/-	विकास कार्य सूची क्रमांक 20,21,22, 23,24,25,26,32 पर दर्शाए गए कार्य
चोहदवा वितायोग	14,19,949/-	नि.खेल मैदान नजदीक पंचायत घर फेज-I से फेज-VI
मनरेगा	------	विकास कार्य सूची प्रस्तुत नहीं की गई
कुल राशि	**35,46,801/-**	

11 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ

(i) मनरेगा योजना की रोकड़ बही अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत वितीय वर्ष 2016-17 व् 2017-18 में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार निम्नतालिका अनुसार ₹**30,85,919** का ऑनलाइन भुगतान किया गया था जिसको आधार मानकर ही पंचायत की वितीय वर्ष 2016-17 व् 2017-18 की मासिक आय-व्यय विवरणी व निम्नविवरणानुसार वितीय स्थिति तैयार की गई है |अतः उक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

वित्तीय वर्ष	**मजदूरी (₹)**	**सामग्री (₹)**	**कुल भुगतान (₹)**
2016-17	1413366/-	407436/-	1820802/-
2017-18	1050903/-	214214/-	1265117/-
कुल भुगतान	**2464269/-**	**621650/-**	**3085919/-**

(ii) मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च राशि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/ Juru Shilal/-2018-19-2 दिनांक 07.07.2018 द्वारा मनरेगा योजना में किये गए व्यय से सम्बन्धित अपेक्षित अपेक्षित सूचना जैसे विकास कार्यों की सूची, उनके स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन, तकनीकी मूल्यांकन शीट्स{माप पुस्तिका}उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य मांग पञ्जीका{Demand Register}, जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर तथा सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जोकि गम्भीर अनियतिता है क्योंकि वर्णित अभिलेख के अभाव में उक्त योजना के अन्तर्गत खर्च की गई राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

12 बिना बिल/वाउचर के ₹6.97 लाख का अनियमित भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के अनुसार पंचायत निधि से किये गए प्रत्येक व्यय/भुगतान हेतु जो वाउचर तैयार किया जायेगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब-वाउचर के रूप में लगाया जायेगा परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 12/2016 में किए गए व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाए गए ₹6,97,193 {अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/ Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक (2)} की राशि के आहरण/भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर न तो फाईल में उपलब्ध थे और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गए जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण न हो सका तथा ऐसे में आहरित राशि के सम्भावित दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में विभागीय जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करके नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाई जाती हैः–

Date	Particulars	Amount (₹)	रोकड़ बही पृ0स0
	(i) General Fund-{Month-12/2016}		
12.12.16	Cement purchase	33500/-	55
20.12.16	Labour-Muster roll	28290/-	56
---do---	Sand purchase and Carriage	34500/-	56
---do---	Aggregate purchase	12000/-	56
22.12.16	Water carriage charges	25000/-	56
---do---	Aggregate purchase	22500/-	56
---do---	Labour-Muster roll	109295/-	56
23.12.16	Aggregate purchase	65297/-	57
---do---	Labour-Muster roll	64575/-	57
---do---	Steel purchase	6410/-	57
---do---	Sand purchase	34000/-	57
---do---	Shuttering	51500/-	57

---do---	Cement purchase	49704/-	57
---do---	Honorarium Chowkidar	11000/-	57
---do---	Advance secretary	5177/-	57
---do---	Labour-Muster roll	14940/-	58
---do---	Aggregate purchase	9360/-	58
	(ii) 14th FC-Month-12/2016		
05.12.16	Sand purchase	15000/-	11
22.12.16	Labour-Muster roll	72990/-	13
22.12.16	Office expenses	456/-	13
23.12.16	Cement purchase	31700/-	13
	कुल योग	**697194**	

13 नियमानुसार उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त किए बिना ₹1.25 लाख का अनियमित व्यय/भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) विहित प्रावधानानुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित उचित टैक्स Invoice बिल उपलब्ध नहीं थे बल्कि चयनित माह 12/2016 में आपूर्तिकर्ता को कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद पर भुगतान पारित करके निम्नतालिकानुसार ₹1,24,676 का भुगतान दर्शाया गया था तथा जिसके कारण किया गया व्यय/भुगतान अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है | अतः वर्णित अनियमितता की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल {proper Tax Invoice/Bill} व वास्तविक प्राप्ति रसीद सहित प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

दिनांक	बिल नं	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	राशि (₹)
		सामान्य निधि-{माह-12/2016}		
07.12.16	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत, मात्रा/दर------	14000/-
------	कच्ची रसीद	रतन पंवार	बजरी 300 बैग	16726/-
------	कच्ची रसीद	बलबीर सिंह	रेत 190 बैग	14000/-
------	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत 200 बैग	15000/-
------	कच्ची रसीद	संदीप कुमार	रेत 185 बैग	14000/-
		14thFC-{माह-12/2016}		
12/2016	कच्ची रसीद	खिरम सिंह	गटका दर/मात्रा/नहीं	6600/-

---do---	कच्ची रसीद	रतन पंवार	रेत दर/मात्रा/नहीं	15000/-
---do---	कच्ची रसीद	विरेन्दर सिंह	पत्थर 8 चट्टे	20000/-
---do---	कच्ची रसीद	सतपाल	बजरी दर/मात्रा/नहीं	9350/-
			कुल योग	**124676/-**

14 ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना ₹8.97 लाख का अनियमित आहरण/भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.09.2016 की ग्राम सभा मासिक बैठक में कार्यवाही पंजिका के पृष्ठ संख्या 191–192 पर प्रस्ताव संख्या 4 पर खाता संख्या 825 से ₹212295 तथा 5 पर खाता संख्या 826 से ₹684650 की विभिन्न अदायगियों को ग्राम पंचायत द्वारा आहरण हेतु पारित नहीं किया गया था (कार्यवाही पंजिका, पृष्ठ–192) जिसके कारण पंचायत कोष से ₹896945 का आहरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त आहरण को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 सरकारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करके ₹0.06 लाख के सीमेंट की खरीद खुले बाजार से करना

चयनित माह के व्यय का अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि व् मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार ₹5775 की सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd की अपेक्षा खुले बाजार में निजी विक्रेताओं से की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका (2011) के Chapter-II में उक्त सामग्री की खरीद हेतु निर्दिष्ट/दिए गए दिशा निर्देश 5(1) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | क्योंकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम { HPSCS, Ltd} से सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त वर्णित खरीद पर सरकारी दर से अधिक दर पर की गई अदायगी के कारण हुई वित्तीय हानि की भरपाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में निर्माण सामग्री की खरीद उक्त नियमानुसार ही करना सुनिश्चित किया जाए |

विक्रेता का विवरण	बिल नं/ तिथि	बैग	खरीद दर (₹) प्रति बैग	HPSCS की दर (₹) प्रति बैग	अधिक भुगतान (₹)
		मनरेगा			
चौहान हार्डवेयर कुपवी	487/ 14.09.14	48	313/-	276/-	1776/-
		सामान्य निधि			
चौहान जनरल स्टोर	------ 12/2016	93	360/-	317/-	3999/-

अधिक अदायगी/भुगतान की राशि	**141**	**5775/-**

16 SBM योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹2.76 लाख से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 04/2017 में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के अन्तर्गत चेक संख्या 502,566 से 502581 तथा 502594 द्वारा 23 लाभार्थी परिवारों को ₹12000 प्रति परिवार की दर से ₹276000 की प्रोत्साहन राशि का भुगतान दर्शाया गया था किन्तु वर्णित भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जैसे, स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा उक्त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है, अथवा नहीं या लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय के निर्माण हेतु उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है या नहीं इत्यादि बारे अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

17 बिल की छाया प्रति पर ₹1.35 लाख का अनियमित/संदिग्ध भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह **12/2016** में महासू ट्रेडर्स ददाहू के बिलों की छाया प्रति पर बिल क्रमांक में बदलाव करके निम्नतालिकानुसार **₹1,34,782** का आहरण/भुगतान दर्शाया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसकी अधिकारिक जाँच कर वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा छानबीन उपरान्त भुगतान उचित व् वास्तविक न पाए जाने की स्थिति में वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए| इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक. (3) द्वारा यह अनियमितता सचिव ग्राम पंचायत के ध्यान में लाई गई थी तथा सचिव ग्राम पंचायत के पत्र संख्या जुड्डु शिलाल/कुपवी/2018-19-4 दिनांक 17/07/2018 के क्रमांक(3) द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया:-

Name of Supplier/Firm:- Mahasu Traders Sangrah

Date	**Original Cm No**	**Altered/tampered as**	**Amount (₹)**
15.12.16	1082	2082	34800/-
05.12.16	1045	2045	29982/
06.12.16	1050	2050	35142/-
06.12.16	1051	2051	34858/-
		कुल भुगतान	**134782/-**

18 क्रय स्टील के किराया भाड़ा पर ₹0.48 लाख का संदिग्ध भुगतान

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक (4) के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत ने पत्र क्रमांक: जुड्डु

शिलाल/कुपवी/2018-19-4 दिनांक 17/07/2018 के क्रमांक (4) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 12/12/2016 को GR No.986, 987 व् 988 दिनांक 17/10/16, 22/10/16 तथा 29/10/16 प्रत्येक ₹16,000 के अन्तर्गत M/S B.T.Goods Carrier को सरिया ढुलाई हेतु ₹48,000 का जो भुगतान दर्शाया गया है वह माह 10/2016 में आर.एस. ट्रेडर्स ददाहू से क्रय सरिये की ढुलाई के लिए किया गया है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 10/2016 में उक्त फर्म से {08/10/16 से 28/10/16 के दौरान} कुल ₹6417kg सरिये की खरीद की गई थी जिसकी ढुलाई उक्त GR No.986, 987 व् 988 द्वारा दिनांक 17/10/16, 22/10/16 तथा 29/10/16 को दर्शाई गई थी, जबकि निम्नतालिकानुसार 17/10/16 व् 29/10/16 को सरिये की कोई भी खरीद नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त GR पर न ढुलान की गई सरिये की मात्रा दर्ज थी और न ही ढुलान की प्रति किलोमीटर/प्रति किलो दर दर्ज पाई गई, जिसकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त माह 12/2016 में महासू ट्रेडर्स संगडाह से निम्नतालिकानुसार 7761kg सरिये की खरीद दर्शायी गई थी जिस पर संगडाह से कुपवी तक का सरिया केरिज का भुगतान नहीं किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खरीद दर में ही ढुलाई भाड़ा {FOR डेस्टिनेशन} भी समिलित था, जिससे सरिया ढुलान पर दर्शाया गया उपरोक्त भुगतान संदिग्ध भी प्रतीत होता है| अतः यह प्रकरण उच्चधिकारियों के विशेष ध्यान में उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया जाता है तथा यदि छानबीन उपरान्त ढुलाई भाड़े का उपरोक्त भुगतान उचित/वास्तविक नहीं पाया गया तो वर्णित ढुलाई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना जाएः–

आर.एस. ट्रेडर्स ददाहू से माह 10/2016 में की गई सरिये की खरीद

दिनांक	**बिल सख्यां**	**मात्रा**	**खरीद दर (₹) प्रति कि0ग्रा0**	**कुल राशि (₹)**
08/10/16	2019	1300 kg	34.43	44752/-
09/10/16	2020	1200 kg	35/-	42097/-
16/10/16	2033	478 kg	38.69	18492/-
22/10/16	2069	930 kg	48.60	45198/-
26/10/16	2084	1021 kg	36/-	36763/-
27/10/16	2085	991 kg	36/-	35693/-
28/10/16	2086	497 kg	38.63	19197/-
	कुल खरीद	**6417 kg**		

महासू ट्रेडर्स संगडाह, से माह 12/2016 में दर्शाई गई सरिये की खरीद

11/11/16	1960	833 kg	36/-	29988/-
11/11/16	1964	986 kg	36/-	35496/-
18/11/16	1988	1027 kg	36/-	36972/-
05/12/16	2045	789 kg	38/-	29982/-
06/12/16	2050	972 kg	36/-	35142/-
06/12/16	2051	968 kg	36/-	34858/-
15/12/16	2082	965 kg	36/-	34800/-

20/12/16	2104	694 kg	36/-	25000/-
22/12/16	2107	527 kg	36/-	19000/-
	कुल खरीद	**7761 kg**		

19 अस्थाई अग्रिम ₹6.34 लाख का बिना व्यय बिल/वाउचर के संदिग्ध समायोजन करना

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक (5) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को सूचित अनियमितता अनुसार निम्नतालिकानुसार आहरित अग्रिम ₹6,34,000 से सम्बन्धित समायोजन बिल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए |सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ 48 पर उक्त राशि का समायोजन वर्ष 2016-17 की वाउचर नस्ति में संलग्न वाउचर संख्यां 43 से 47 के अनुसार दर्शाया गया था जिसके अनुसार वाउचर संख्यां 43 पर ₹25,050 का मानदेय, 44 पर ₹1,800 कूड़ा हटाने का व्यय, 45 पर ₹37,500 बजरी की खरीद 46 पर ₹5,400 रेत की खरीद तथा वाउचर संख्या 47 पर ₹13,500 बजरी की खरीद से सम्बन्धित कुल ₹83250 के व्यय वाउचर ही पाए गए जबकि उक्त राशि का आहरण व् समायोजन निम्न कार्यों हेतु किया दर्शाया गया थाः–

नं0	आहरण की तिथि	आहरित राशि (₹)	प्रयोजन	पेशगी प्राप्तकर्ता का नाम
1	11.11.13	100000	ज्ञात नहीं	पूर्व प्रधान सुखराम
समायोजितः- दिनांक 2/10/2016, कार्यः-निर्माण पुल दभाडा, वाउचर संख्यां: 43				
2	19.03.15	167000	नि. L/R शिवपुरी से जुड्ड शिलाल व् सामुदायिक भवन हिडा	पूर्व प्रधान सुखराम
समायोजितः-दिनांक 4/10 व् 6/10/16, उपरोक्त कार्य हेतु, वाउचर संख्यां: 44 व् 45				
3	19.03.15	100000	ज्ञात नहीं	पूर्व प्रधान सुखराम
4	07.10.14	68000	ज्ञात नहीं	---do---
5	15.10.14	37500	ज्ञात नहीं	---do---
6	17.10.14	38000	ज्ञात नहीं	---do---
7	08.12.14	30000	ज्ञात नहीं	---do---
8	31.03.15	36000	ज्ञात नहीं	---do---
9	28.10.14	40000	ज्ञात नहीं	मोहन सिंह
	कुल राशि	**349500**	**समायोजितः- दिनांक 07/10/2016,**	
कार्यः-निर्माण सामुदायिक व् पंचायत भवन, कुपवी वाउचर संख्यां: 46 द्वारा				
10	8.12.15	17500/-	नि. सामुदायिक भवन हरिजन बस्ती शलाह	दुलाराम शलाह
समायोजितः-दिनांक 10/10/2016, विविध व्यय,टेलेफोन बिल व् स्टेशनरी वाउचर नं 47				

इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत, जुड्डु शिलाल के पत्र क्रमांक:जुड्डु शिलाल/कुपवी/2018-19-4 दिनांक 17/07/2018 के क्रमांक 5 द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा छानबीन उपरान्त पेशगी राशि का समायोजन सही/वास्तविक न पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

20 बैंक में प्राप्त जमा ₹0.97 लाख तथा आहरण ₹0.93 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नतालिका में दर्शाई गई बैंक में जमा प्राप्ति व् आहरित राशि का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक (6) द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया था तथा इस बारे सचिव ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक:जुड्डु शिलाल/कुपवी/2018-19-4 दिनांक 17/07/2018 द्वारा प्राप्त उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः वर्णित अनियमितता की उचित छानबीन करके वर्णित राशि का रोकड़ बही में लेखांकन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

सामान्य निधि बैंक खाता संख्यांः-172800101202501 UCO Bank, Kupvi

दिनांक	**प्राप्त/भुगतान राशि का विवरण**	**प्राप्त राशि (₹)**	**आहरित राशि (₹)**
02/04/15	A/CNo:-172800101202501 **(मनरेगा)** से हस्तांतरित राशि	96802/-	------
07/04/15	Ch No. 489925, Balbir Singh	------	8100/-
10/04/15	Ch No. 489929,Mohan Singh	------	36000/-
10/04/15	Ch No. 489927, Ravi Dutt	------	34918/-
10/04/15	Ch No. 489928, Dev Dutt	------	3859/-
16/04/15	Ch No. 489926, Suresh Kr.	------	10000/-
	रोकड़ बही में लेखांकित नहीं की गई कुल राशि	**96802/-**	**92877/-**

21 रोकड़ बही व व्यय बिल/वाउचर को प्रधान से सत्यापित /पारित करवाए बिना पंचायत कोष से लाखों रूपये का अनियमित आहरण/भुगतान

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Juru Shilal/-2018-19-4 दिनांक 16.07.2018 क्रमांक (7) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को सूचित अनियमितता के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक 17.09.2016 के उपरान्त रोकड़ बही में दर्ज किये गए प्राप्ति व् भुगतान

को न तो प्रधान द्वारा सत्यापित पाया गया और न ही व्यय/भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर को भुगतान से पूर्व प्रधान से नियमानुसार सत्यापित/पारित करवाया गया था जिसके कारण पंचायत कोष से लाखों रूपये का किया गया आहरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (7), (47), (48) व (49) के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है |अतः वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त कर नियमित करवाने के अतिरिक्त रोकड़ बही को प्रधान से सत्यापित करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

22 आहरित राशि में से रोकड़ बही में ₹0.50 लाख का व्यय /भुगतान कम गणना में लिए जाने के कारण राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समान्य निधि के बचत खाता संख्या 46210100825 से दिनांक 23.12.2016 को चेक संख्यां:502562 द्वारा ₹2,86,732 का आहरण किया गया था जिसमें से रोकड़ बही के पृष्ठ 57 पर केवल ₹237028 का ही व्यय/भुगतान दर्ज पाया गया। अतः शेष राशि ₹49704 {286732-237028} बारे कोई भी विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया, जिसके कारण संशय होता है कि वास्तविक व्यय/भुगतान की राशि से अधिक राशि आहरण करके राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में उचित छानबीन उपरान्त अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है।

23 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है, जोकि अंकेक्षण से सम्बन्धित अवधि के लिए तैयार व् पारित नहीं किया गया था जिसके कारण पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार/पारित करवाकर, तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

24 प्राप्त अनुदान राशि की सम्बन्धित विभाग को रसीद जारी न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए उपरोक्त नियमों में दिए गए प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है परन्तु पंचायत के लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों मुख्यतः **RTGS/Online** बैंक प्राप्तियों के लिए उक्त वर्णित नियमानुसार रसीद जारी नहीं की जा रही थी, जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) उपयोग की गई रसीद बुकों का अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई और रसीदों पर की गई काट–पीट व रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त, नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुकों का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए |

26 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्रमांक	वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	
3.	चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	
5.	अग्रिमों का रजिस्टर	
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	
7.	प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर	
8.	मांग व् प्राप्ति रजिस्टर	
9.	स्टेशनरी रजिस्टर	
10.	निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर	

11. मस्ट्रोल रजिस्टर |
12. इन्वेंटरी रजिस्टर |

27 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 विविध अंकेक्षण आपत्तियां

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई रोकड़ बहियां तथा खाताबहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था । इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन रोकड़ बही, व बैंक खाते में मौजूद शेष राशि का मिलान पंचायत द्वारा तैयार की गई आय-व्यय तालिका व तुलनपत्र की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सका। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए।

ii) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको में विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए|

(iii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक व्यय बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा पारित व्यय की प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं किया जा रहा था, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए |

(iv) व्यय/भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त नहीं की जा रही थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए |

29 लघु आपत्ति विवरणिका:-

यह पृथकता से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

30 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)89/2018 खण्ड–1–6912–6915 दिनांक 31.10.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जुड्डु शिलाल, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881